तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
21.10.24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विप्रार्थी की रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली हुए लगभग 50 दिन से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी विप्रार्थी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर बहस सुनी जावें। विप्रार्थी की सम्यक तामीली होने के उपरांत भी उपस्थित नहीं हो रहे है,जिन्हें न्यायालय समय में पृथक पृथक तीन बार आवाजे दिलवाई गई,बावजूद उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। तत्पश्चात प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गईं। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से विवादित आराजी के संबध में अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद–पत्र पेश किया था। वादीगण का वाद मौका रिपोर्ट एवं बहस में विचाराधीन चल रहा था। वादी के वाद–पत्र की न्यायालय हाजा में दिनांक 13.9.2022 को सुनवाई तारीख नियत थी,निर्धारित सुनवाई तारीख को वादी अधिवक्ता के माननीय श्री में उपस्थिति नहीं होने के कारण हस्तगत प्रकरण को माननीय न्यायालय द्वारा अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया गया। जिसकी अभी जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र पेश की गई है। वादीगण का विवादित आराजी में हक हकूक निहित होने के कारण खातेदारी अधिकारों की धोषणा के लिए वाद–पत्र पेश किया था,जिसमें वादीगण का हित निहित [illegible]य न्यायालय द्वारा यदि वाद को पुनः बरामद नहीं [illegible] वादी के साथ अन्याय होगा। अंत में निवेदन किया [illegible] न्यायहित में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वा[illegible] का वाद–पत्र पुनः बरामद किया जावें। सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2024.11.19 18:55:09 IST
Reason: SelfAttested

268/2024

हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस पर मनन किया पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात अनुसार वादीगण का वाद दिनांक 13.9.2022 को वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने के कारण वाद अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया गया था। जबकि न्यायालय हाजा का मानना है,कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए,न की तकनीकी आधार पर। वादीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है,ताकि वे अपने हक हकूको के लिए सम्पूर्ण पैरवी कर सकें। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी.वास्तें–वाद–पत्र पुनःबरामद किए जाने बाबत स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 13.9.2022 को निरस्त किया जाकर वादीगण का वाद पुनः बरामद किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा 22/10/24

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2024.11.19 18:35:09 IST
Reason: SelfAttested